संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./सी.पी.एस./2019/ 487 भोपाल, दिनांक 14/08/2019

सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा काउंसलिंग

सूचना

प्रदेश के चिन्हित जिला/सिविल अस्पतालों में सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से विभिन्न विधाओं यथा स्त्रीरोग एवं प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना एवं मनोरोग में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक वर्ष 2019 में शेष सीट्स पर प्रवेश हेतु **मॉप अप राउंड की अंतिम काउंसलिंग** संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल में **दिनांक 26 अगस्त 2019 को** अपरान्ह 3.00 बजे संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) के कक्ष मे आयोजित की जाएगी। विभिन्न चिकित्सालयों में पी.जी. डिप्लोमा हेतु विषयवार उपलब्ध सीट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	चिकित्सालय	उपलब्ध सीट्स				
		स्त्री रोग एवं प्रसूति	शिशु रोग	निश्चेतना	जनरल मेडिसीन	सायकोलॉजिकल मेडिसीन
1	जे पी अस्पताल, भोपाल	0	0	2	-	-
2	जिला अस्पताल, सागर	0	0	2	-	-
3	जिला अस्पताल, सतना	-	2	-	-	-
4	सिअ रानी दुर्गावती, जबलपुर	3	-	-	-	-
5	मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर	-	-	-	-	3
6	इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल, भोपाल	1	-	-	-	-
योग		4	2	4	0	3

- मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में **पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड** इन सर्विस चिकित्सा अधिकारियों (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को ही भाग लेने की पात्रता होगी।
- जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नही लिया गया है, उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।
- पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.जी. नीट 2019 के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये महत्व को सम्मिलित कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीपीएस पी.जी.

डिप्लोमा सीट्स के लिये कॉउन्सलिंग की जाएगी, सेवा अवधि की गणना दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में की जाएगी।

- चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु अंक प्राप्त करने के लिये प्रपत्र 8 एवं प्रपत्र 8-A काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिन चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु अंक पूर्व में प्रदान किये जा चुके है उन्हे उक्त जानकारी प्रस्तुत नही करना है।
- सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से स्त्रीरोग एवं प्रसूति (डी.जी.ओ.) तथा शिशु स्वास्थ्य (डी.सी.एच.) विधाओं में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त है। अन्य विधाओं में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मध्य प्रदेश मेडिकल कॉउंसिल से मान्यता प्रदान करने के संबंध में एक्ट में संशोधन करने के लिये मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ।

सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप चयन की कार्यवाही की जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले चिकित्सक अपने मूल दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र मय छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे, काउंसलिंग में उपस्थित नही होने पर प्रवेश की पात्रता नही होगी।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./सीपीएस/2019/ 488 — भोपाल, दिनांक 14/08/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश